ELECTION TO COMMITTEE

NATIONAL FOOD AMD AGRICULTURE ORGANISATION LIAISON COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : Sir, I beg to move :

"That in pursuance of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation Resolution No. F. 10-1/65-FAIT, dated the 9th Sepetember, 1966, as subsequently amended, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of the National Food and Agriculture Organisation Liaison Commitee for the next term commencing from the date of election, subject to the other provisions of the said resolution".

MR. SPEAKER : The question is :

"That in pursuance of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation Resolution No. F. 10-1/65-FAIT, dated the 9th September, 1966, as subsequently amended, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of the National Food and Agriculture Organisation Liaisen Committee for the next term commencing from the date of election, subject to the other provisions of the said resolution."

The motion was adopted.

12.46 hrs.

INDIAN POST OFFICE (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : Sir, I beg to move* :

"That the Bill further to amend the Indian Post Office Act, 1898, be taken into consideration".

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : How much time has been allotted for it ?

MR. SPEAKER : Two hours have been allotted but if you like we can dispose of it in 1½ hours.

SHRI SHER SINGH : It is a very innocent and simple Bill. Sir, this Bill seeks to amend section 45 of the Indian Post Office Act, 1898. Under this Act the Central Government can provide facilities for remitting small sums of money through the post office either by means of money orders or by postal orders. The main difference between these two forms of remittances is that while money orders can be sent for any amount not exceeding the maximum of Rs. 1,000 and they are paid at the door of the addressee, postal orders are for small fixed amounts which have to encashed at the post office or through a bank.

In the case of money orders the Central Government has been vested with authority under the Act to fix the limit of the amount for which money orders may be issued. This limit has been fixed by the Central Government at present at Rs. 1,000. In the case of postal orders, however, it has been expressly provided in section 45 of the Act that no such order shall be issued for an amount in excess of Rs. 10.

It is felt that the existing limit up to which a postal order may be issued is very low. It has been in existence since 1935. The introduction of postal orders of higher denominations will result in some reduction in the work in the post offices without any reduction in the revenue on account of commission accruing on the service.

Secondly, with the fall in the value of the rupee and increase in the money order and postal order traffic the public are now remitting large amount and it would be in the interest of the department and also that of public convenience to issue postal orders of higher denominations. This will not in any way affect the commercial banking service as the amounts concerned are very small.

With these remarks, Sir, I move.

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the

* Moved with the recomendations of the President.

Indian Post Office Act, 1898, be taken into consideration."

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur) : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has stated that this Bill is a very simple Bill. The hon. Minister has been a little bolder and has increased the maximum amount of a Postal Order from Rs. 10 to Rs. 50. As the hon. Minister observed, in 1935, the maximum value of the Postal Order was fixed at Rs. 10. Since then, the value of the rupee has gone down considerably. The value of Rs. 10 of those days will be much higher than the amount of Rs. 50 of today. Therefore, I think the maximum amonut should have been higher than Rs. 50. It shoult have been Rs. 100 or Rs. 200 even or Rs. 500. That could have been easily provided in the Bill.

After all, what is a Postal Order ? A Postal Order is enqivalent to a bank draft. The banks take money and, for a certain commission, they issue bank drafts for very high amounts. The same thing can be done so far as the postal banking system is concerned. I think, there is no difference whatsoever between a bank draft of an ordinary bank and a postal order issued by the Post Office except for the fact that the Postal Orders are much more colourful than an ordinary bank draft. Althogh the hon. Minister has been very cautious in fixing the maximum amount at Rs 50, I think, he will lose no time in raising the maximum from Rs 50 to Rs 100 or Rs 200 or even Rs 500. We have not tabled any amendment on this apprehending that there may be some administrative difficulty and that the hon. Minister might think that an amount of Rs. 200 or so would be too much burden for him so far as the Postal Orders are coacerned.

With these words, while supporting the Bill, I hope that the hon. Minister will become a little more bolder and raise the maximum at a very short future date.

श्री भोला नाथ मास्टर (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अभी पूर्व वक्ता ने कहा है कि दो सौ रुपये तक के पोस्टल आर्डर्ज छपने चाहियें। इसी तरह का एक एमेंडमेंट श्रीलोबो प्रभु ने दिया है जिस में उन्होंने कहा है कि पचास रुपये के बजाय सौ रुपये कर दिये जाने चाहिये। अभी मंत्री महोदय ने रुपये की वैल्यू जो कम हुई है, उसका जिक्र किया है। यह पता नहीं है और न ही इसका अनुमान अभी लगाया जा सकता है कि आगे रुपये की वैल्यू क्या होगी। इस वास्ते इस तरह की कोई भी सीमा इस बिल में रखना ठीक नहीं होगा। मैंने भी एक एमेंडमेंट दी है जिस को समय आने पर मैं मूव करूंगा। इस एमेंडमेंट में मैंने कहा है कि कोई लिमिट न रखी जाए। समय के मुताबिक सरकार रूल बना सकती है और उन में प्रेसक्राइब कर सकती है कि किस मैक्सीमम लिमिट की राशि तक पोस्टल आर्डर इशू किये जाएं। यह जरूरी नहीं है कि पचास रुपये की लिमिट आज लगा दी जाए। आप बीस, तीस, चालीस, एवास आदि तक के पोस्टल आर्डर इसके तहत छापेंगे। फिर एक एमेंडमेंट है कि सौ तक के एमाउंट के छापे जायें। यह जो सीमा है, इस के बारे में आज निश्चित रूप से हम तय नहीं कर सकते हैं। जैसा समय होगा, इस सीमा को बदला जा सकता है। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट के पास पावर हों इसका फैसला करने की। समय आने पर मैं एमेंडमेंट मूव करूंगा। उसके मुताबिक अगर कर दिया जाता है और इस क्लाज को और प्राविसो को डिलीट कर दिया जाता है तो बहुत अच्छा होगा।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने इस बिल को पेश करते वक्त कहा है कि यह बड़ा इन्नोसेंट सा बिल है। मैं मानता हूं कि वाकई में यह इन्नोसेंट बिल है। लेकिन हकीकत में इतना इन्नोसेंट नहीं है, जितना बताया जाता है। मैं इसका विरोध तो करना नहीं चाहता लेकिन यह दिखाना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं इस हाउस के जरिये मुल्क को कि बिल के पीछे डाक तार विभाग का जो नजरिया है, वह क्या है।

एक मनी आर्डर का सिस्टम भी चलता है

[श्री सूरज भान]

जिस का गरीब आदमी फायदा उठाता है। जहां तक पोस्टल आर्डर और इनशोर्ड लैटर्ज का सम्बन्ध है, इन से अमीर आदमी और बड़ी फर्में ही फायदा उठाती हैं, बड़े आदमी ही फायदा उठाते हैं। मनी आर्डर फी को पिछली बार बढ़ा दिया गया था। मैं आपको जो सारे रेट्स हैं उनको कम्पेअर करके दिखाना चाहता हूं। इस आपको पता चल जाएगा कि जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा सहूलियत दी जा रही है और गरीब आदमी जो मनी आर्डर ज्यादा तर भेजते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले भी भेजते हैं, उसका भार उन पर ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उनकी जेब ज्यादा काटी जा रही है।

इनशोर्ड लैटर्ज में बड़े लोग सौ-सौ रुपये के नोट भेजते हैं। गरीब आदमी सौ-सौ के नोट इनशौअर करवा कर और उनकी रजिस्ट्री करवा कर नहीं भेजता हैं। पहले सौ रुपये का इनशोर्ड लैटर सिर्फ पचास पैसे में जा सकता है और उसके बाद हर सौ रुपये पर तीस पैसे लगते हैं। इस तरह से पांच हजार तक की लिमिट है। अब जहां तक पोस्टल आर्डर्ज का सम्बन्ध है, आप कहते हैं कि दस रुपये के अलावा आप पचास रुपये तक के भी पोस्टल आर्डर इशू करेंगे। मुझे इस में कोई एतराज नहीं है। अब पोस्टल आर्डर भेजना सस्ता रहेगा। इसका फायदा बड़े आदमी, अमीर आदमी ही उठायेंगे और अगर उनको मनी आर्डर भेजना हुआ तो उसके बजाय ये पोस्टल आर्डर के जरिये रुपये भेजेंगे। मैं कम्पेरिजन करता हूं। इसमें मैं गरीब को भी शामिल कर लेता हूं। मान लें कि दो सौ रुपये इनशोअर्ड लैटर के जरिये भेजे जाते हैं। अब इस पर 1 रुपया 85 पैसे खर्च होंगे जिसमें एक रुपया पांच पैसे रजिस्ट्री की फी भी शामिल है। इनशोरेंस की कास्ट जो है वह सिर्फ अस्सी पैसे है। अब अगर वह इसी राशि को पोस्टल आर्डर के जरिये भेजेगा तो एक रुपया 45 पैसे खर्च होंगे जिस में रजिस्ट्रो की फी भी शामिल है। चालीस पैसे तो पोस्टल आर्डर की कमिशन के और एक रुपया पांच पैसे रजिस्ट्री के। लेकिन अगर इसी राशि को मनी आर्डर के जरिये भेजा जाता है तो चार रुपये में भेजा जा सकेगा। अब गरीब आदमी को पता ही नहीं है कि पोस्टल आर्डर क्या है और इनशोर्ड लैटर क्या है। अब अगर एक हजार रुपया भेजना हुआ तो इनशोर्ड कवर में भेजने से 4 रुपये 25 पैसे लगेंगे, पोस्टल आर्डर के द्वारा भेजा जाएगा तो 3 रुपये पांच पैसे लगेंगे और अगर मनी आर्डर के जरिये यह रकम भेजी जाती है तो बीस रुपये लगेंगे।

अब जो गरीब आदमी हैं वह दो सौ रुपये से अधिक का मनी आर्डर नहीं भेजता है। पोस्टल आर्डर आप पचास रुपये तक के जारी करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन गरीब आदमी जो दो सौ रुपये का मनी आर्डर भेजता है, उससे आप जो एम० ओ० कमिशन लेते हैं, उसको भी आप घटा दें। उसको आप पोस्टल आर्डर के रेट के बराबर कर दें। गरीब आदमी भी पोस्टल आर्डर भेज सकेगा। इसके अलावा पोस्टल आर्डर का आप गांव-गांव में प्रचार करें, वहां इसको पापुलराइज करें ताकि गांव वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकें और फायदा उठा सकें।

आप एम्प्लायीज के जरिये यह सब काम करवाते हैं। जिन के जरिये यह सब Postal order बेचेंगे, उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। उनको इटेरिम रिलीफ देने की बात भी होनी चाहिये।

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five minutes past Fourteen of the Clock.

*[*MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair]*

INDIAN POST OFFICE (AMENDMENT) BILL—*contd.*

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : When the Postal rates were raised in the 1968-69 budget, I had occasion to say that the greatest mail robbery of all times had taken place and that by an increase of 50 per cent for post-cards, 33 per cent for inlands and 25 per cent for letters, the public was made to pay too much and made to pay almost till it was bled white, and I had predicted then that this would lead to a fall in the number of letters posted. My prediction has come true, because the figures which I have obtained show that the number of letters has fallen from 92 crores to 80 crores, a fall of 13 per cent, and inland from 58 crores to 51 crores, a fall of 12 per cent.

I would like Government to consider what they are doing, how they are offending the people at a time when they should please them. The postal service is the oldest State service in the country or State enterprise in the country, and is becoming the enemy of socialism. Between Statism and socialism now there is anti-thesis when the common people are compelled to give up their right to communicate with each other. I know that Government will not be disposed to reduce the rates which they have once enhanced. But may I suggest to them that as recommennded by one of their own committees, they should think in terms of surface mail for those who wish to keep in touch with each other and who have no necessity for speed ? I had asked for figures from the Ministry in my question last session as to what it would mean if the surface mail was introduced at the old rates, that is, at the rates which were prevalent before they were enhanced. On that the assumption that the figures of the letters posted were the same, and only half were carried by air it was reported that the loss would be only Rs. 8 crores. I am not sure that Rs. 8 crores loss would even arise, because there would be an increase in the number of letters which will be posted, in the number of inlands which will be posted at the lower rates, which would make up for this. There has been no computation of the gain from using surface mail, that is, the trains instead of the planes for which there is a very hehvy charge of Rs. 7 crores and more. For the trains, there will be no additional charge because the vans are the same. So, I would press very strongly on Government that in view of the postal service being a service which touches the people at all times, in all places, and on all persons, they should think of this surface mail at the old rates so that the people may be able to return to their older habits of communicating with each other.

Some people think that it is rather strange that the Swatantra party should take up the cause of the common man. But I would again taka up another case of the common man. We have the extra-departmental staff of the post office, namely the village postmaster and the village postman. I am glad that the village postmaster who is a part-time government employee has his allowance restored. Last year, it was reduced on the ground that he had dearness allowance paid to him by the State Governments. I had taken the matter up, and I am glad that I have a letter from the hon. Minister that they are giving Rs. 15 as a special allowance to Central Government employees and are reducing the old rate for the State employees. That is considerable relief for the postmaster. But the postman gets a very niggardly amount of something between Rs. 30 and Rs. 50 in different States. This has not been increased for a number of years. I ask my hon. friends opposite to think what it means for a man to have to deliver posts daily to three or four villages at distances of five miles, sometimes at this meagre sum of Rs. 30 to Rs. 50. It is not by any means only an act of socialism; it is an act of removing the injustice if you raise the salary of the extra-departmental postman to something which is inkeeping with the recent rise in prices.

There is no reason why we should differentiate only in respect of this one small service on the ground that becasue they are 1·8 lakhs, the total amount that will become payable will be very large.

Another act of socialism which Government could show would be as regards housing for the postal staff. In my home town, a proposal for housing started in 1962.

[Shri Lobo Prabhu]

Acquisition proceedings started in that year and land was acquired in 1967. But till now no proposal has been sanctioned for construction, not even for 5 per cent of the staff. Now the loss of time is a serious matter. I do hope the Minister will enquire into it as to why it was not done more expeditiously.

I would make a further suggestion. The land available is ample. You can have multi-storey construction to accommodate more than 5 per cent of the staff because they are too small a proportion and they have to pay something like 20 per cent of their salaries in rent in private houses.

These are matters of general interest, none-the-less of very important, concern to the general public. I know in the Ministry there is a Minister and Minister of State who are very keen to do their best by the department and the staff. In the Railway Ministry, an electric change took place when Shri Nanda took over, I am conscious of the improvements which have resulted in one way or another. I do hope a similar change will be evident in the P and T also. I would add that the sooner this is done the better it is for the large number of the postal staff, for the whole of the public which is in some way or other having to use the post offices and lastly, for the Government which has such strong claims to socialism.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : I have got no quarrel with the amendment moved by the Minister. But I wish to take this opportunity to ventilate certain grievance of the Assam Circle. This Circle comprises Tripura, NEFA, Manipur, Nagaland and Assam. It is one of the biggest Circles. But it is most neglected by the Ministry. Up till now in this Circle, there is no construction division. It was there, but in 1967 it was abolished. I learn it has been shifted to somewhere elese. In such a large area, if there is no construction division, how will the building and other works be done ? Up till now it is done from Calcutta. As a result, the money sanctioned for construction in this Circle gets delayed and no work is done. I know the Minister visited Gauhati, but I did not get intimation of it. I would have said something there, but the Minister went to Gauhati and Shillong and then flew back to Delhi.

In Gauati alone the P and T Department spends more than Rs. 30,000 on house rent every month, when there is enough land with the P and T Department to construct a house in the very heart of the town. The Telegraph Office which is in the heart of the town is being used as a dumping ground for telegraph and telephone posts.

The PMG'S Office is in Shillong. In 1962, when there was war with China, the PMG'S Office came down to Gauhati. In times of crisis Gauhati is used as headquarters, but in times of peace they always go to Shillong. Why has not this PMG'S Office been brought down to Gauhati when that is the main centre of Assam, from where everything is controlled ? This is very necessary.

The RMS Office is now in Silchar, but the railway headquarters are in Gauhati. Railway mails have to run from railway headquarters. In the last conference of Mail Gaurds of Assam Circle held in Dibrugarh, the employees have passed a resolution unanimously that the RMS service should be shifted from Silchar to Gauhati. I have also written to him and the PMG, Assam Circle, but no reply has come.

These are certain difficulties regarding the main communication centre of Assam, Gauhati. If you want to develop it, you have to attend to these things, and change the position that you are now taking.

Then I wish to say something about the staff position. I think Prof. Sher Singh is in the know of things because I had put some questions and he replied. In the P and T Department it takes eight or ten years for confirmation, and in some cases confirmation comes after death. The DPC does not sit and even if it sits, it does not take any decision So, the whole of Assam Circle is in a mess. So, I want to hear from the Minister about confirmation and staff position.

As I have said, the Assam Circle comprises NEFA, Nagaland, Tripura, Manipur and Assam. Generally people expect that for the Class IV services like peons, packers,

telephone operators etc., the local people would be employed, the Manipuris in Manipur the Assamess in Assam etc. But the practice now is to take them on an all-India basis. This practice should be abolished at least in this service and persons who belong to that circle should be appointed in the fourth category service.

Lastly, regarding corruption.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are all these things relevant to the Bill ?

SHRI DHIRESWAR KALITA : This is the only opportunity. This is called a thread tag. Wheat is the price of this ? I do not know. Cannot this be procured in Assam itself ? Then again take this ordinary paper. Could they not get it in Assam ? No, they have to get it from Delhi, from Bombay. Why ? Who manages all these things ? This is not done by open tender. Even for small things like this they do like this. I request him to look into these things. How have they managed the purchase of such items as I mentioned during all these years ? How many rupees had been spent on them ? Why could not they be purchased in the Assam circle itself ? I tequest him to please look into these matters.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में बोलने का मौका मिला है, यह डिपार्टमेंट देहातों के लिये बहुत जरूरी है और खुशकिस्मती से देहात का ही मेरा एक भाई इस महकमे का वजीर है, इस लिये मैं चाहूंगा कि हमारी कुछ दिक्कतें उन की नोटिस में लाई जायें।

पहली बात तो मैं पोस्टल आर्डर्ज के बारे में ही अर्ज करना चाहता हूं। जैसा मेरे भाई सूरज भान ने कहा है—आप 10 रु० के बजाय उस को 50 रुपये करने जा रहे हैं, उस से सरमायेदार लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचेगा। एक भाई ने तो यह भी कहा कि यह 100 रु० होना चाहिये—उन के साथ तो एग्री करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जब आपने इस की लिमिट 10 रु० के बाजाय 50 रु० की है तो मनिआर्डर का रेट घटाने के बारे में भी सोचना चाहिये। कहीं ऐसा न हो इस से हमारे पोस्टल महकमे का भट्टा ही बैठ जायें, लोग मनीआर्डर के बजाय अपना कारोबार पोस्टल आर्डर से ही करना शुरू कर दें, इस से महकमे को नुकसान होगा-इस लिये आप को इस नजरिये से भी इस पर गौर करना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि आप कुछ स्टैटिस्टिक्स तैयार करायें, क्योंकि यह कोई लक्जरी की चीजें नहीं हैं—टेलीफोन,टेलीग्राफ, टेलीविजन—ये सब चीजें देहातों के लिये उतनी जरूरी हैं जितने बड़े बड़े शहरों के लिये जरूरी हैं। आज ये चीजें एजूकेशन का मीडियम बन गई हैं। आज देहातों में पोस्टमैन का इस तरह से इन्तजार किया जाता है, जैसे एक दूल्हा दूल्हन का इन्तजार करता है, पोटस्मैन का उसी तरह से वहां बेताबी से इन्तजार किया जाता है और देहात के लिये वह एक जरूरी इंस्टीचूशन बन गया है। पोस्टमैन को आप अच्छी तनख्वाहें दीजिये, जिससे उस के अन्दर सर्विस के बारे में एफिशियेन्सी पैदा हो। यह नहीं होना चाहिये कि एम० पीज के दरवाजे तो रात के बजे तक उस के लिये खुले रहते हैं, डाक की फर्स्ट-क्लास किलयरेंस होती हैं लेकिन देहात में बैठे हुए हरिजन भाई को एक हफ्ते में एक बार चिट्ठी मिलती हैं। हमारे देहात का भाई नाथूला और चूला में बैठा हुआ है देश की हिफाजत कर रहा है, अगर वह चिट्ठी भेजता है तो उस के घर वालों को हफ्ता इन्तजार करना पड़ता है, जब कि यहां दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में 10-10 मिनट पर टेलीफोन या तार मिल जाते हैं, जब कि गांव में तार को पहुंचने में हफता लग जाता है। पैसा भी खर्च हुआ और वक्त पर नहीं पहुंचा। देहातों में तार को पहुंचने में दस गुना देर लग जाती है। मैं मिनिस्टर साहब

[श्री रणधीर सिंह]

से आपकी मारफत यही अर्ज करना चाहता हूं कि यह चीज अब नहीं चलनी चाहिये, सब कुछ दिल्ली, कलकत्ता या बड़े बड़े शहरों के लिये ही नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि आप इस के बारे में हमें स्टैटिस्टिक्स दीजिये। आज यह बात नहीं है कि यहां राजकुमार रहते हैं या खुदा की कोई नई मखलूक रहती है। देहातों में भी आदमी बसते हैं, ऊत नहीं बसते हैं। जो सिलसिला आप शहरों के लिये बनाने जा रहे है, उस को देहात के लिये भी मखसूस करें।

इस सिलसिले में मैं आप को एक सुझाव देना चाहता हूं—आप पी० सी० ओज० खोलने जा रहे हैं और आपने फैसला किया है कि 5 हजार की आबादी वाले देहातों में पी० सी० ओज० खोलेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि बिहार में पांच हजार की आबादी के कितने गांव हैं या यू. पी. में ऐसे कितने गांव हैं जिनकी आबादी पांच हजार है, दूसरे सूबों में कितने हैं? इस से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पांच हजार की आबादी के जितने भी गांव मिल कर पी० सी० ओ० लेना चाहें, आप उन को दें। अगर रणधीर सिंह के इलाके के 10 गांव की आबादी 5 हजार बनती है और वे पी० सी० ओ० चाहते हैं तो आप उन को दें और शेर सिंह जी के इलाके के पांच गांव मिल कर चाहते हैं तो आप उन को भी दें।

तीसरी बात—डिप्टी स्पीकर महोदय—गांव में टेलीफोन के चार्जेज के बारे में कहना चाहता हूं। दिल्ली में अगर गाजियाबाद टेलीफोन करना है या फरीदाबाद टेलीफोन करना जो 20 मील दूर हैं तो भी 20 पैसे लगते हैं और उन को लोकल काल में गिना जाता है। जब कि गांव में अगर कोई गोहाना से बरोद टेलीफोन करना चाहे, जो डेढ़-दो मील है, वहां उस को लोकल-काल नहीं माना जाता है और उस को उसी हिसाब से देना पड़ता है। यहां पर बैठा हुआ डालमिया बिरला या टाटा दो रुपये केका म के 20 पैसे देता है और वहां उस को पास के गांव में टेलीफोन करने का 2 रुपया देना पड़ता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गोहाना से बरोद या रोहतक से बाहर अगर कोई टेलीफोन करना चाहे तो उस को लोकल-कोल में शामिल किया जाय।

देहातों में आप को ज्यादा से ज्यादा सेविंग्ज बैंक खोलना चाहिये। एक गरीब हरिजन जो शराब पर अपना पैसा खर्च कर देता है, आज जब कि देहातों में थोड़ी-थोड़ी आमदनी बढ़ने लगी है, आपको चाहिये सेविंग्ज बैंक खोल कर उसकी आमदनी को मोबिलाइज करें, जिससे उसकी स्माल सेविंग्ज आप को मिल सके। वहां से रोहतक जा कर वह अपना खाता नहीं खोलेगा, अगर आप उस की सेविंग्ज को लेना चाहते हैं तो आप को यह सुविधा उस को गांव में देनी होगी। पोस्टल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिये आप वहां के स्कूल टीचरों को इस काम में लगा सकते हैं और इस तरह से आप वहां अपनी बान्च खोल सकते हैं।

क्लियरेंस के बारे में मैंने अभी अर्ज किया है—देहातों में डाक की क्लियरेंस जल्दी होनी चाहिये। मेरे इलाके के बहादुर जवान इन्तजार करते रहते हैं, महीनों में उन की चिट्ठी मिलती है, मैं इस को बरदाश्त नहीं कर सकता। वे लोग देश के लिये मरें और उन की बीवियों को उन की चिट्ठियां महीनों में पहुंचे—यह मुनासिब नहीं है।

कुछ तनख्वाहों के पेन्डिंग केसेज हैं। सितम्बर-अक्टूबर में जो हड़ताल हुई थी और उस में जो लोग गिरफ्तार हुए थे—यह तो ठीक है कि उन को आपने वापस ले लिया है, लेकिन अभी भी कुछ केसेज पैन्डिंग हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उन को आप की नोटिस में ला सकता हूं। आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उन के केसेज को लटका कर रखा जा रहा है।

टेलीविज़न का गांव में भी शौक हो गया है, वे लोग भी अपने यहां टेलीविज़न लगवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप टेलीविज़न को गांव में भी पहुंचाइये।

SHRI K. ANIRUDHAN (Chirayinkil) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the main object of the Bill is to give more facilities and convenience to the public as well as to the department. At present we are having denomination upto Rs. 10. By this Bill they want to have it for Rs. 20, Rs. 30, Rs. 40 and Rs. 50. At most of the post offices, especially branch post offices numbering about 1½ lakhs, even the existing denominations are not available. Therefore, firstly the existing denominations should be made available in all the post offices. If you want to increase it up to Rs. 50, why not increase it upto Rs. 100 ? It would be more convenient to the public and also to the department.

Coming to the convenience of the department, of course printing, packing, colouring, sending etc. are all there, but the people expect more efficient service from the postal department even about the existing facilities. If that is so, the satisfaction of the postal employees is a main ingredient. The postmaster of a branch post office—there are more one lakh branch post offices—gets a total emolument of Rs. 53.50. It is a hard case. He has no holiday, no medical facilties, no security of service, etc. This position must he rectified.

The regular employees of the postal department have asked for enhanced wages. It is long overdue. Government has conveniently shelved it by appointing a Pay Commission. Even an ordinary employer doing some business is bound to give interim relief to the employees. The postal employees have asked for interim relief. They have demonstrated and made representations through their unions also. They must be provided interim relief immediately.

I want to give some instances to show how the telephone department is working. I have dialled from my house in South Avenue here to my home in Trivandrum, the capital of my State. I tried frantically for four days and the reply I got every day was *"line karab hai"*. I am afraid the postal department is absolutely *karab*. Some weeks back I sent a telegram from Bombay airport to my office saying "Reaching evening Attending meeting". It was a phonogram. I went there by 5 o'clock, attended the meeting and came back. But my phonogram did not reach the other end. Next day I came to Delhi. Fortunately on that day I could talk to my office and they said they did not receive the telegram I sent from Bombay airport to Trivandrum. So, the entire system should be either re-oriented or scrapped and rebuilt. There should be more efficient people with better emoluments and there should be efficient machinery. We should have postal orders of denominations up to Rs. 100 in almost all post offices, including branch offices. The employees of the postal department, including those working in the branch offices, should be given enhanced salaries and interim relief. When we contact the postal or telephone authorities they speak in a language which I cannot understand ; it is Greek or Latin to me. Since people from different parts of the country are living here, you must make arrangements to give replies in a language which is known to people all over the country.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome this Bill, which is coming after so many years. It will take another 20 years for another amending Bill to come. So, it is better that they accept some of the amendments which have been given notice of by some of the hon. Members here. For instance, government can take authority to increase the value of the postal order up to any amount they may think fit.

Sir, with your permission, I would like to refer to one thing.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not allowing ; Members are snatching it from me.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Recently, PMG's office has been shifted from Cuttak to Bhubaneswar. So, the staff working there are facing difficulties about staff quarters. Already there are about 400 employees working in Bhubaneswar postal

[Shri Chintamani Panigrahi]

establishments and now with the shifting of the PMG's office the number of postal employees has increased to about 1,500. So, immediate steps should be taken to see that they are properly accommodated.

Then I share the view of Shri Lobo Prabhu that the salary of the extra departmental employees should be raised. The last time it was raised was during the Second Lok Sabha, and that too on a motion moved by me when I was in the opposition. I hope the government would take earliest opportunity to increase the emoluments of these employees as well as the village postmasters.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक के जरिये, सन् 1898 का जो ऐक्ट है जिसमें केन्द्रीय सरकार को दस रुपए तक पोस्टल आर्डर इश्यु करने की ताकत दी गई थी उसको पचास रुपये करना चाहते हैं यानी डिनामिनेशन को बढ़ाना चाहते हैं जो स्कीम 1935 में चालू हुई उसके मातहत। मैं जानना चाहता हूं किस आधार पर 50 रुपये का फैसला किया गया है ? क्या 1898 के दस रुपये सन् 1970 में पचास रुपये के ही बराबर हैं ? तो किस आधार पर आपने पचास रुपये का फैसला किया है ? इसकी जगह पर सौ रुपये भी हो सकते हैं, दो सौ रुपये भी हो सकते हैं। मोटे तौर पर आपने क्या क्राइटेरियन अख्तियार किया है ? रुपये की वैल्यू बहुत नीचे गई है। सन् 1898 का एक रुपया आज दस रुपये के बराबर है। तो दस रुपये जो उस वक्त थे वह मोटे तौर पर सौ रुपये के बराबर होने चाहियें। इससे आपको मनी आर्डर भेजने में, पैसा भेजने में आसानी भी होगी। छोटे डिनामिनेशन्स सब के सब हटा दिये जायेंगे तो आसानी होगी। लेकिन पहली बात तो यह है कि लोग पोस्टल आर्डर से कितना भेजते हैं। दस रुपये पोस्टल आर्डर से भेजेंगे तो दस पैसे तो आपका कमीशन है, फी है और उसके बाद लिफाफा लेकर उसमें बन्द करेंगे तो बीस पैसे, और लगेंगे। इस तरह से तीस पैसे हो गए। इसलिए एक साधारण आदमी अगर दस रुपये भेजना चाहेगा तो बीस पैसे में मनीआर्डर से क्यों नहीं भेजेगा ? यदि आप चाहते हैं कि पोस्टल आर्डर का इस्तेमाल ज्यादा हो और आम लोगों के लिए सुविधा हो, तो जो कमिशन है 10 पैसे का उस को आप क्यों कम नहीं करते हैं ? आप उस को 2 पैसे का कर दीजिये, 5 पैसे का कर दीजिये। तब लोगों की समझ में आयेगा कि उस से उन को आसानी होगी और मनी आर्डर के मुकाबले में बचत होगी। लेकिन आप इस तरह की बात कर नहीं रहे हैं।

जो लोग मनी आर्डर ज्यादा भेजते हैं उन को उस के लिये फुर्सत नहीं है। महीने में एक दफा पोस्टल आर्डर खरीद लिया और लिफाफे में भर कर भेज दिया। इस से उन को तो जरूर फायदा होगा लेकिन साथ साथ साधारण लोगों को भी फायदा होना चाहिये। यह फायदा तभी हो सकता है जब आप उस का शुल्क कम करें। आज पोस्ट आफिस के जरिये लोगों को, आम जनता को, जो फायदा होना चाहिए उस के मुताल्लिक हम देख रहे हैं कि सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। आज कदम कदम पर ऐसी बातें हो रही हैं जिन के बारे में यहां कहना शायद इर्रेलेवेंट मालूम हो, लेकिन लाजिमी हो जाता है कि उन की तरफ सरकार का ध्यान हम दिलाये।

उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मनी आर्डर का फार्म आप ने बनाया है। पहले जो मनी आर्डर फार्म था उस को आप आंख खोल कर देखें और नये फार्म से मुकाबला करें कि कौन सा आसान है जनता के लिए। जो नया फार्म बना है उस में जिस के नाम भेजना होता है, अर्थात् पेयी का नाम नहीं रहता है नीचे। इस से कन्फ्यूजन होता है कि मैं ने किस को मनी आर्डर भेजा था। पहले वाले में जगह

ज्यादा रहती थी, लेकिन नये वाले में उतनी जगह नहीं होती है कम्यूनिकेशम के लिए ताकि साधारण जनता दो लाइन ज्यादा लिख सके। इन सब बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि पहले वाला फार्म ज्यादा आसान था जनता के लिए।

इसी तरह से आप इंटरनेशनल लेटर को ले लीजिए। जो इनलैंड लेटर बनता है वह ज्यादा आसान है जनता के इस्तेमाल के लिए बनिस्बत इंटरनेशनल लेटर के। वह बड़ा कम्बरसम हो जाता है, इनलैंड लेटर ज्यादा आसान है, मगर इस के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है।

आप रजिस्ट्रेशन की बात को लीजिये। अगर आप को रजिस्ट्रेशन कराना है तो एक जगह आप को तौलाना होगा कि वजन कितना है, फिर स्टेम्प लेने के लिए दूसरे काउंटर पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए तीसरे काउंटर पर जाना होगा कलकत्ता के बड़ा बाजार पोस्ट आफिस जाने के लिए तीन बड़ी बड़ी लाइनों को पार करना होगा तब जा कर कहीं दो घंटे में रजिस्ट्रेशन करा पायेंगे। लेकिन यह सरकार न जाने कैसी अन्धी है कि कहती है कि जनता की सुख सुविधा के लिये काम कर रही है, मगर आंख खोल कर देखती नहीं है कि तीन काउंटर पर जाने में जनता को कितनी तकलीफ होती है। इस तरफ उस को ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह से इंटरनेशनल कूपन की बात है। मैंने इंटरनेशनल कूपन्स का इस्तेमाल किया है, पोस्टल आर्डस का भी इस्तेमाल किया है। अक्सर हम देखते कि इंटरनेशनल कूपन्स उपलब्ध नहीं होते हैं। पार्लियामेंट पोस्ट आफिस में जा कर मैंने पूछा कि इंटरनेशनल कूपन्स हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हैं तो नहीं, लेकिन मंगवा देंगे। क्या इसी तरह से पोस्टल है विट लोगों में ज्यादा बढ़ेगी ? बहुत से प्रोफेसर लोग होते हैं जो जिला लेवेल पर और सब डिवीजनल लेवेल पर इंटरनेशनल कूपन्स का इस्तेमाल करते है अगर वह उन को ले सकें तो जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप की तरफ से इस के लिए उचित व्यवस्था नही है।

अंग्रेजों के जमाने में पोस्टमेंनों को यूनिफार्म वगैरह मिलती थी, बेकिन आज उन का कुछ ठीक प्रबन्ध नहीं है। जो यूनिफार्म का स्टेन्डर्ड पहले था, जूतों का स्टेन्डर्ड पहले था वह भी नहीं है, आज कल तो यूनिफार्म और जूते कायदे से मिलते ही नहीं हैं। आज अपने काम को करने के लिए उन को जो सुविधायें मिलनी चाहियें वह मिलती ही नहीं हैं, बल्कि अगर देखा जाय तो हालत और भी खराब होती जा रही है।

और भी बहुत सी बातें हैं। मधुबनी पोस्ट आफिस की बिल्डिंग बनने की बात थी। वहाँ पर जमीन है, और सब कुछ भी है, लेकिन मकान नहीं बन रहा है। 300-350 रू० महीने किराये पर उस के लिए मकान लिया गया है और इस तरह से बेमतलब पैसा सरकार खर्च कर रही है। लोहनारोड, अन्धरागढ़ी और लोखा हमारे क्षेत्र में हैं जहाँ के लिए टेलीफोन और टेलीग्राम की व्यवस्था सैंक्शन हो गई है, लेकिन सरकार ने बनाया नहीं है। क्या यह सरकार जनता की सुख सुविधा के लिए काम कर रही है। अगर सरकार जनता की सुख सुविधा पर ठीक से गौर करे तो जनता को लाभ हो सकता है, लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देती है। बिल्कुल स्टेरियोटाइप्ड, रुटीन तरीके से वह चलती है।

अगर आप चाहते हैं कि इस विधेयक के जरिये से आम जनता को कुछ सुख पहुँचे तो जो मेरा संशोधन है कि 50 की जगह 100 कर दें उस को स्वीकार करें जैसा और सदस्यों ने भी कहा है, और जो पोस्टल आर्डर का कमीशन 10 पैसे है उस को घटायें ऐसा करने पर ही उन को राहत पहुंच सकती है। आज जो भी पोस्ट आफिस खोले जाते हैं उन पर आप सिक्योरिटी

[श्री शिव चन्द्र झा]

मनी मागते है। मधुबनी में एक सब डिवीजन में पोस्ट आफिस की हालत बड़ी खराब है। वहां जो नया पोस्ट मास्टर होगा उस के लिये आप घूस का सिलसिला रखते हैं। घूस का दौर चलेगा और ब्राइब के जरिये लोग पोस्ट मास्टर बनेंगे। आप को सी बी आई के जरिये इस की जांच करानी चाहिये कि वहां कितनी घूस ली जाती है। यह सब कुछ आप बन्द कीजिये और जो हमारी रोजमरा की दिक्कतें हैं उन को आँख खोल कर देखिये, तभी जनता का फायदा हो सकता है।

श्री ए० सि० सहगल (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इंडियन पोस्ट आफिस अधिनियम, 1898 का जो था उस में सरकार ने पोस्ट आफिस के लिए यह लिमिट लगाई थी कि 10 रुपये तक का पोस्टल आर्डर ही वह बेच सकेगा। लेकिन आज हम इस विधेयक के जरिये उस को बदलना चाहते हैं. और बदलना चाहिए। जो वेरियस डिनामिनेशन्स के पोस्टल आर्डर बनेंगे उन में हम को देखना चाहिए कि जनता को किस से सब से ज्यादा सुख सुविधा हो सकती है। अगर आप समझते हैं कि 20 रु०, 30 रु०, 40 रु०, 50 रु० करने से उन का फायदा होता है, तो उस को बढ़ाये और दुबारा मैं शर्ज करूंगा कि अगर आप इस को बढ़ा कर 100 रु० तक कर सकते हैं, तो जरूर बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मेरी राय है कि इस से जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। प्रिंटिंग के बारे में भी मेरा खयाल है कि जितने बड़े डिनामिनेशन्स के पोस्टल आर्डर बनेंगे उतने कम पैसे उस के छापने में लगेंगे। यदि आप को ऐसा लगे कि 100 रु० डिनामिनेशन के पोस्टल आर्डर छापने से आप के खर्च में कमी होगी तो आप को जरूर उन को छापना चाहिए।

इस बिल पर बोलने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इस वक्त ज्यादा न कहूंगा। यदि पोस्टल सर्विसेज पर बोलने के लिए कोई हम से कहे, यहां कोई डिएकशन हो तो उस पर मैं बराबर बोल सकता हूं क्योंकि इस में बहुत खामियां हैं, लेकिन जिस सीमित उद्देश्य के लिए यह विधेयक लाया गया है उस के सम्बन्ध में इस समय इतना ही कहना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, you will appreciate that we hardly get an opportunity to discuss the affairs of the Postal Department and, therefore, you will pardon me if I do not directly go to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I fully agree that there is a lot to be said about the Postal Department. But let us seek another opportunity for that.

SHRI S. KUNDU : I would like to touch two or three points while speaking on the Bill. I agree with many of the hon. Members who have said that postal order should not be restricted to Rs. 50 and that it should be enhanced. I hope, the hon. Minister will examine it. As my hon. friend Shri Chintamani Panigrahi said, let us not take another 20 years to enhance the limit to Rs. 200 or Rs. 500. I think, in the course of the debate on this Bill, he will accept some of the amendments.

Sir, this Act was enacted during the British times in 1898 and also the Indian Telegraph Act. When the British people enacted these statutes, they put in so many provisions which were meant to see that during the freedom struggle, all our activites were curbed. Now, the time has come to amend the statutes in a comprehensive way and not by piece-meal.

Last year, when a group of primary teachers of Lucknow sent a congratulatory message to some of the teachers here, the telegram was with held. I raised the matter in the form of a Short Notice Question

and the matter was debated in this House. We were given a promise that this obnoxious Secition 5 which gives power to a Collector or an officer to withhold a telegram on any flimsy ground will be reviewed. And we are given to understand that Government is going to bring forward a Bill. But nothing has come. According to me that Bill should have come first instead of some other Bill coming here. Sir, if you look into the various provisions of this Posts and Telegraphs Act it gives enormous power to the Government to do whatever they like. They are not at all responsible for the delay of letters and telegrams. They are not at all responsible for the misdelivery. They are not at all resonsible for the wrong delivery. This Bill is completely silent on this.

How can we get a telegram within three hours which was promised here for a number of years? It is shocking to find express telegrams being delivered even after three to four days. I have filed a lot of complaints. I got sick about it. Mr. Lakhan Lal Kapoor sent three telegrams to Kishanganj. They reached after four days. Some of them were Express telegrams. Is this a Government or a chattering club? This Department should be abolished lock, stock and barrel and the people must express their anger. I want an assurance from the Government the telegram reaches the addressee within three hours, the Government must compenstate—the Government must not only refund the money which may come after six months—but should give a fine for not delivering the telegram in time. You go to the Indian Airlines and you ask whether your passage from Calcutta to Bagdogra is Pucca. Don't get the confirmatory news even after three days. If you have some job somewhere and if you do not get confirmation of passage, your money is wasted by going half way to Calcutta. Sir, these people cannot help us even though we pay a lot of money for this. The Minister takes everything easy. I wish he were a little more active and dynamic.

Another thing I find particularly in Orissa. Even M. Ps. letters are just kept in the cupboard. It takes months and years to find out whether one post office is viable or not. They have made rules for backward areas. These norms are not applied. They are just kept. I have brought it to the notice of the Minister several times but nothing is done.

One man was wrongly taken out of his job. Certain decision was taken. I brought it to the notice of the Minister, but nothing was done. All sorts of things are going on the Postal Department. I told the Minister that so far as the Bubaneswar staff are concerned, you are doing a wrong thing. I said the strength is more than 400. But the officers said that it is 300. He did not take any action in that. Now the matter is in the Orissa Court. Who is going to pay for it ? Would you take any action on it ? You went there and glibly addressed on the opening function of the new building. You did not bother to invite any Member of Parliament there. This is what happens. This is something which has become unbearable.

There must be a well-defined objective that if any village has a population of 300 or 400 persons, at a distance of say one kilometres, there should be one post office.

There is the long pending demand of postal employees for quarters and not even 3 to 5 per cent of the employees have got quarters. in some places. They are in a very miserable condition, particularly the Class IV employees.

The difficulties of the extra-departmental post masters are increasing and their cases are being neglected and nothing is being done. When Dr. Ram Subhag Singh was there we raised this matter one or two times. After that it has been put completely in cold-storoge. Nothing happened...

MR. DEPTY-SPEAKER : I know, there are many things to be said ; but let us confine ourselves to the Bill now.

SHRI S. KUNDU : All right. Thank you.

SHKI D. N. TIWARY (Gopalganj) : This is a very simple Bill. But this occasion has been taken to discuss the whole thing relating to the Postal Department. And the pace has been set by one of the Members coming from the Heaven-born service, Mr. Lobo Prabhu. He set the pace and everybody else followed it. I should say that he should have set a better example in not dealing with the whole postal department while speaking on this Bill.

[Shri D. N. Tiwari]

This is a very simple amendment of a section for allowing postal order for more than Rs. 10 denomination. I know there are so many shortcomings in the Postal Department. If you begin to enumerate them, it will take not days, but weeks. I know that. The Department is suffering from many ills. But I am not going to enumerate them here.

There is one thing about the Bill which I wish to point out. Whether the denomination is Rs. 10 or Rs. 100 or Rs. 200, the department should see to it that the payments of these postal orders are made immediately and without any delay whatsoever, in each and every post office, whether it is extra-departmental post office or branch office or sub office or any office. It so happens that when some money order goes to an extra departmental office, the payment is not made for 3 or 4 or 5 days even and the poor man who has to receive the money order has to suffer because there is no money in that post office. This is what happens. If we take a postal order of Rs. 50 or Rs. 40 and send it to a village having an extra-departmental post office and if the payment is delayed then there will be more of dissatisfaction than of any benefit accruing to the person.

I have also found that this thing will replace some of the pressure on the money orders. When a money order is sent, it takes sometimes months to reach the addressee. Through this process money can be sent to the addressee within 3 or 4 days. You can take out a postal order. You can put it in a Registered cover and sent it to the addressee and he will get the money there. Even if it is an extra-departmental post office he should be able to get the money. Such arrangment should be made. If you do not ensure about this, the whole benefit will go and the people will suffer more because they will have to go to the central post office to get the money there. He will have to spend more money for getting Rs. 15 or Rs. 20 and he will not be able to get the benefit through the postal order. So, I would request that steps should be taken from the date this Bill comes into force, to make arrangements for payment of these postal orders just like promissory notes on presentation, and there should be no delay on that account. If delay is caused, then there will be more dissatisfaction than satisfaction among the people.

15.00 hrs.

The other point that I would like to mention is that even if the postal orders are sent by registered post, sometimes, it does happen that even registered letters are lost. How are we to ensure that the postal order which is sent through registered post reaches the addressee in time ? We have seen that several registered letters sent from here through the Parliament House post-office get lost. Months are taken to replace those registered letters; often, they are not replaced and they are lost for ever, and the rule regarding payments for loss of registered articles is not adhered to. Nobody bothers to pay either the addressee or the sender. This loophole should be plugged so that the benefit which the hon. Minister wants to give to the people would really go to them.

Since the money order fee has gone up, the introduction of these postal orders would bring some benefit to the people who want to sent only Rs. 5 or 10 or 15 by paying less. This Bill will be a boon to them. But I would request that delay should be avoided and arrangements should be made for payment of these postal orders at whichever post office they are presented, just on presentation.

श्री बी० प्र० मंडल (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि पोस्टल आर्डर की वैल्यु की लिमिट को दस रुपये से पचास रुपये तक बढ़ाने के लिए यह एमेंडमेंट करने की कोई आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि पोस्ट आफ़िसिज का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्लैक और इनडिसिप्लिन्ड है, वहां बराबर दिन-रात एम्बेजलमेंट और चोरी वगैरह बढ़ती जा रही है। कोई उस को देखने वाला नहीं है। मैं इस बारे में एक दो उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं।

बिहार के 22 जुलाई के सर्चलाइट के पेज 5 की हैडलाइन है : "माधीपुरा पोस्टल सर्विसिज

इन ए मैस" । सहरसा जिले में एक साल से दो तीन दिन तक डाक नहीं आती है, क्योंकि वहां के लिए मान्सी में डाक उतारी जाती है । इस का कारण शायद यह है कि रेलवे एथारिटीज और पोस्टल एथारिटीज में डिफरेंस चल रहा है । शायद वह डाक सीधे आसाम तक, आपकी स्टेट तक चली जाती है । इस को कोई देखने वाला नहीं है ।

मैं पोस्टल डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं । यह निर्णय किया गया है कि संसद के हर एक सदस्य को उस की कांस्टीट्युएन्सी में टेलीफोन उपलब्ध किया जाये । मैं चाहे किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एक संसद्-सदस्य हूं । लेकिन अभी तक मुझे अपनी कांस्टीट्युएन्सी में टेलीफोन नहीं दिया गया है । मैं ने लिख कर दिया है कि मेरा घर एक्सचेंज आफ़िस से पांच मील पर है । डिपार्टमेंट के एक अफ़सर ने लिखा है कि वह पंद्रह मील पर है । मैं ने लिखा है कि वह गलत कहते हैं और अगर उन की बात सही हो, तो मैं संसद् से रेजाइन कर सकता हूं ; मंत्री महोदय इस मामले की जांच करायें । लेकिन कोई इस को देखने वाला नहीं है ।

फिर मैं ने सोचा कि इन लोगों से माथा-पच्ची करना बेकार है । इस लिए मैं ने लिखा कि मुझे माधीपुर में ही टेलीफोन दिया जाये, जहां एक्सचेंज है और जहां एक दूसरे संसद-सदस्य को भी टेलीफोन दिया गया है । तीन महीने से मुझे जवाब नहीं दिया गया है । मैं बड़ी मुश्किल में हूं और बहुत हैरान हूं । एक संसद-सदस्य का यह अधिकार है कि उस को अपनी कांस्ट्री-ट्युएन्सी में टेलीफोन दिया जाये । लेकिन विभाग के अफसर नहीं देते हैं और इस बारे में धांधली करते हैं । इस विभाग में इतना इन-डिसिप्लिन है । यह नहीं समझा जा सकता है कि पोस्टल आर्डर की वैल्यु दस पैसे से बढ़ा कर पचास रुपये तक करने से यह विभाग ज्यादा एफ़िशेंट हो गया है । मंत्री महोदय के विभाग के अफसरों में दुनिया भर का जो करप्शन, इन-डिसिप्लिन और हाई-हैंडिडनैस है, उस की तरफ उन का ध्यान जाना चाहिए । मैं अपनी कांस्टी-ट्युएन्सी में एक टेलीफोन का एनटाइल्टड हूं, लेकिन वह मुझे नहीं मिला है ।

मैं समझता हूं कि शायद यह एक मेम्बर के प्रिविलेज का भी सवाल है । मैं आप के चेम्बर में आप से इस बारे में बात करूंगा । शायद यह मुझे अपनी कांस्टीट्युएन्सी में टेलीफोन इस लिए नहीं देते हैं कि मैं इन की पार्टी में नहीं हूं और इन को वोट नहीं देता हूं । इस बात का सीरियस नोट लेना चाहिये । आप मुझे इस बात की इजाजत दें कि मैं आपके सामने इस प्रश्न को उठाऊं ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इंडियन पोस्ट आफिस एक्ट, 1898 की धारा 45 में संशोधन करने के लिए जो विधेयक सदन के सामने रखा है, मैं उस का स्वागत करता हूं । इन 72 वर्षों में देश में कितनी ही क्रान्तियां आई हैं और कितनी ही नई नई बातें हुई हैं । हाल ही में यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन (हरि क्रान्ति) का सूत्रपात हुआ है और क्रान्ति के फलस्वरूप तरह तरह की सुविधायें कुछ किसानों तक पहुंच रही हैं । अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि पोस्ट आफिस की सुविधा पांच हजार की आबादी वाले गांव तक ही सीमित न रख कर पांच सौ तक की आबादी वाले गांव तक बढ़ानी चाहिए और दो किलोमीटर तक (रेडियस) की दूरी के भीतर यह व्यवस्था होनी चाहिए ।

संचार विभाग ने देश में काफी काम किया है । उस ने दूर दूर तक गांवों में पोस्ट आफिस, छोटे छोटे डाकघर, ई० डी० पी० ओ० और पी० सी० ओ० आदि खोले हैं । मैं मानता हूं कि बड़े बड़े कामों में एक-आध कमी या गलती हो सकती है ।

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

इस विधेयक द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि दस रुपये के पोस्टल आर्डर के साथ बीस, तीस, चालीस और पचास रुपये की डीनामिनेशन के पोस्टल आर्डर भी जारी किये जायें। जैसा कि श्री पाणिग्रही ने सुझाव दिया है, डीनामिनेशन के बारे में कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को अधिक रकम के पोस्टल आर्डर जारी करने के बारे में विचार करना चाहिए, ताकि आगे चल कर उस को कोई दूसरा संशोधन न लाना पड़े।

मैं मंत्री महोदय का बहुत आदर करता हूं। वे बड़े विद्वान हैं। वे संसद्-सदस्यों के विचारों और सुझावों पर विचार करना चाहते हैं, लेकिन डी० जी० के कुछ स्टाफ यह नहीं चाहते कि संसद्-सदस्यों के द्वारा दिये गये छोटे छोटे सुझावों पर भी अमल किया जाये और उन के मुताबिक आम जनता को सुविधायें दी जायें। मैं केवल एक छोटे E. D. P. O. (सरायगढ़) के लिए छः साल तक लिखता रहा हूं, लेकिन हमारे मामलों को कुछ ऐसे छोटे अफसरों के पास भेज दिया जाता है, जो संसद्-सदस्यों के सुझावों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि इस बारे में कोई 'लिमिटेशन' न रखा जाये तो और सरकार को पूरा अधिकार दिया जाये।

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : Two hours had been allotted to this and we are coming to the end of it. The Bill is simple one, but many members which have spoken have gone very wide into the field. If we go on in this way, we will not be able to keep the time schedule. If you agree, we can have one minute to each member.

SOME HON. MEMBERS : No.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then they should seek another opportunity of discussing the working of the P. and T. department as a whole. If you agree, I will now call the hon. Minister.

SHRI RAJARAM (Salem) : Instead of our seeking another opportunity let the Minister give us an opportunity.

श्री गुणानन्द ठाकुर (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन को यह विश्वास दिलाइये कि आप इस विषय पर अलग डिसकशन करवायेंगे। पोस्टल डिपार्टमेंट की समस्यायें बहुत हैं और हम भी इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The wishes of the Members are noted. Let a proper notice come, it will be considered.

श्री गुणानंद ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो पिछड़े इलाके से आते हैं और जिस पोस्टल डिपार्टमेंट की पीछे बड़ी तारीफ थी और बड़ा अच्छा फक्शनिग था पता नहीं पिछले दिनों से क्या उस में इतनी इनएफिश्येंसी बढ़ गई है, इस लिए हम लोग यह चाहते हैं कि आप हम लोगों को इस के ऊपर अपने विचार रखने का मौका दिलाएं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : On that you should take another opportunity to speak. You wish that this should be discussed separately has been noted.

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah) : We quite agree with your suggestion that some opportunity should be given to the Members to discuss this Department because Members have got many things to say about the mismanagement and bad working of this Department. So far as this Bill is concerned, as there is not much to discuss, the Minister may reply.

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जो आप ने पोस्टल आर्डर का डिनामिनेशन बढ़ा दिया, जहां तक शहर का सवाल है किसी भी बड़े पोस्ट आफिस

में जाएंगे पैसा तुरन्त मिल जायगा लेकिन देहात में किसी छोटे पोस्ट आफिस में, ब्रांच पोस्ट आफिस में जायें तो वहां इतना पैसा नहीं होता। वहां तो जो मनी आर्डर की लिस्ट होती है उस लिस्ट के अनुसार उस ब्रांच पोस्ट आफिस को रुपया भेजा जाता है। उस के पास और ज्यादा रुपया नहीं होता। तो जब इतने रुपये के पोस्टल आर्डर अगर देहात में जाते हैं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर उस आदमी को उस का पैसा नहीं दे सकता। ऐसी सूरत में क्या इंतजाम होगा उस को पैसा दिलाने का? मेरे नाम मान लीजिए 100 रुपये का पोस्टल आर्डर आया, मैं ब्रांच पोस्ट आफिस में पहुँचा तो वह कह देगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। फिर तो पैसा लेने वाले को, उस बेचारे को शहर भागना पड़ेगा और उस का आधा पैसा उसी में खर्च हो जायगा इधर उधर भागने में। आप के यहां जितने भी ब्रांच पोस्ट आफिसेज होते हैं वहां पर एक बैलेंस रजिस्टर होता है कि इतने रुपये बैलेंस रह सकता है। उस में स्टेशनरी भी होती है, पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टकार्ड वगैरह भी होता है। तो जहां मान लीजिए 50 रुपये का बैलेंस रह सकता है वहां अगर वह एक पोस्टल आर्डर रख दे तो वह 50 रुपये का हो गया। फिर बाकी चीजें लोगों को पोस्टकार्ड, लिफाफे, टिकट वगैरह नहीं मिलेंगे। इसलिए पोस्ट आफिसेज जो इस प्रकार के है उन के बैलेंस को बढ़ाने के लिए भी आप को सोचना पड़ेगा। और देहात में जो पोस्टल आर्डर भेजेंगे उन के लिए क्या व्यवस्था होगी जिस से उन को पैसा तुरंत मिल सके, इस के लिए आप विचार कीजिए।

श्री शेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस विधेयक के संबंध में रखे हैं और मैं आप के द्वारा उन सब का धन्यवाद करता हूं। सब से पहले में जो उस बिल से संबंधित बाते हैं उन के बारे में कुछ कहूंगा। श्री सूरज भान जी ने एक बात उठाई कि मनी आर्डस की फीस ज्यादा है और पोस्टल आर्डर्स का कमीशन थोड़ा है, इस से गरीब आदमी को राहत नहीं मिलती। साहूकार आदमियों को फायदा पहुंचता है। इधर श्री शिव चंद्र झा ने कहा कि पोस्टल आर्डर खरीदते हैं और उसे भेजते हैं तो चिट्ठी में डालकर भेजते हैं, उस में ज्यादा पैसा खर्च होता है क्यों कि फिर उस को लेने के लिए जाना पड़ता है तो पोस्टल आर्डर महंगा पड़ता है और मनी आर्डर सस्ता पड़ता है। यह दो कांट्रैडिक्टरी बातें कही गई।

श्री सूरज भान : मैं ने कैलकुलेशन कर के दिया है।

श्री शेर सिंह : जहां तक मनी आर्डर का संबंध है मनी आर्डर को तो जिस के पास भेजा जाता है उस के घर जाकर पैसा देना होता है। पोस्टल आर्डर चिट्ठी से जाता है तो उस को डाकखाने से जा कर पैसा लेना पड़ता है। तो मनी आर्डर की डिलीवरी उस के घर में देनी पड़ती है और वहीं पर जा कर पैसा देना पड़ता है तो महकमे का ज्यादा खर्च उस में होता है और इस लिए उस की फीस थोड़ी ज्यादा है। वह फीस बढ़ाई भी है। लेकिन बहुत कम बढ़ाई है। सौ रुपये से ऊपर कुछ फीस बढ़ाई है लेकिन सौ से कम पर वही पुरानी फीस है। पोस्टल आर्डर की बात कुछ भाइयों ने कही कि पोस्टल आर्डर की 50 रुपये की हद् न रखे, इसके बजाय आप इस की हद 100 रुपये कर दें। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस विधेयक में क्यों इस बात को लाते है कि दस रुपये के जारी करे या 50 रुपये के जारी करें? यह इस में क्यों लिखते हैं? यह पावर आप को ले लेनी चाहिए ताकि जिस समय जैसा भी चाहें कर सकें। उस के लिए बार बार आपको यहां न आना पड़े अमेंडिंग बिल ले कर। यह संशोधन भी कुछ आया है। मैं समझता हूं इस बात में तथ्य है। यह ठीक है, बजाय इस के कि हम बार

[श्री शेर सिंह]

बार बिल ले कर आएं आज दस रुपये के लिए फिर पचास रुपये के लिए, फिर मांग हो और अधिक के लिये तो और बढ़ायें, सौ रुपये के लिए ले आयें, दो सौ के लिए ले आयें, इस के बजाय इसी बिल में यह शक्ति ले लें कि जिस से कभी भी डिनामिनेशन बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकें, हचास के बजाय सौ कर सकें; दो सौ कर सकें। तो यह जो संशोधन है वह जिस समय खंडों पर विचार होगा उस समय आएगा तो हम उस को स्वीकार करेंगे क्यों कि यह बहुत आवश्यक है और इस को मानने से लाभ है।

कुछ और प्रश्न उठाए गए जो इस से संबंधित सीधे तो नहीं थे लेकिन फिर भी वह उठाए गए। एक और बात जिस के ऊपर तिवारी जी ने कहा वह बात बिलकुल ठीक है। हम चाहते हैं कि पोस्टल आर्डर का लाभ गरीब आदमी भी उठाए और मनी आर्डर भेज कर पोस्टल आर्डर से अगर पैसा भेज सके और गांवों में वह जल्दी पहुंच सके तो उस के लिए सुविधा रहनी चाहिये गांवों के पोस्ट आफिसेज में भी कि जैसे ही वह उस को वहां पेश करे तो पैसा मिल जाय। यह प्रबन्ध होना चाहिए यह बात इन की बिलकुल ठीक है। अभी तक यह ठीक बात है कि बड़े पोस्ट आफिसेज में इस की सुविधा है। लेकिन छोटे पोस्ट आफिसेज में, ब्रांच पोस्ट आफिसेज में हम यह सुविधा दे नहीं पाए हैं क्योंकि उन को थोड़ा पैसा रखने का अधिकार है। तो यह बात विचार करने लायक है और जरूर इस के ऊपर विचार कर के हम देखेंगे कि हम लिमिट बढ़ा सकें .....

...(व्यवधान).....

अब कुछ बातें जो इस बिल से संबंधित नहीं हैं लेकिन वह उठाई गई उन में एक बात जैसे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट मास्टर्स के बारे में लोबो प्रभु ने कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी उधर ध्यान दिलाया तो जैसे श्री लोबो प्रभु ने कहा ऐडहाक इक्रीज हमने कर दी है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट मास्टर्स के संबंध में 15 रुपये मासिक, जिस समय उन के लिए की उस समय एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जो पोस्टमैन हैं उन के लिए भी यह इंक्रीज की गई। और अब हम सोच रहे हैं कि इस के लिए एक समिति नियुक्त करें क्योंकि जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल लोगों के एलावेंसेज वगैरह का मामला है, इस में कई दिक्कतें उन को होती है, पांच पांच, दस दस मील जाना पड़ता है, कई कई गांवों में जाना पड़ता हैं, उन को पैसा कम मिलता है, तो सरकार इस बात को सोच रही है और हमारा विचार है बहुत जल्दी इस पर हम एक समिति बिठाएं जो इस मामले पर विचार करे।

कुछ और बातें भी कही गई हैं। गांवों के गांवों के लिए चौधरी रणधीर सिंह जी ने विशेष रूप से कहा कि शहर के लोगों को सुविधायें ज्यादा हैं, गावों के लोगों को सुविधायें कम हैं। हम भी सुविधायें देना चाहते हैं और ज्यादा देना चाहते हैं। जितना घाटा यह मुहकमा पोस्टल ब्रांच में खास तौर से उठा रहा है उस से ज्यादा थोड़ा बहुत हो जाय तो भी हम महसूस करते हैं कि गावों के अंदर कुछ सुविधायें हम और बढ़ायें। लेकिन हमारी भी कुछ सीमायें हैं जिन से हम बंधे हुए हैं। अगर माननीय सदस्य उस के लिए इजाजत दें तो हम जरूर चाहेंगे कि गांवों के लोगों को हम टेलीफोन भी ज्यादा दे सकें, ज्यादा डाकखाने भी खोल सकें, ज्यादा नुकसान हो तो नुकसान होने पर भी हम पोस्ट आफिसेज खोल सकें, इस के लिए सदन की इजाजत हो और ज्यादा पैसा हमें मिल जाय तो हम जरूर इस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। हमारी इच्छा है कि हम अधिक सुविधाएँ वहां पहुंचा सकें।

स्टाफ क्वार्टर्स के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है। हाउसिंग की समस्या केवल इसी विभाग में नहीं है. सभी विभागों में है।

यह ठीक बात है कि 5 प्रतिशत लोगों को ही मकान मिल पाते हैं, बाकी लोगों को नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इस में भी यही बात आ जाती है कि अधिक पैसा मिले तो और ज्यादा मकान बनाये जा सकते हैं। इस में हमारी कुछ सीमायें हैं, जितना पैसा हमें मिलता है उतने में ही बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा पैसा मिले तो ज्यादा क्वार्टर्स बनायें और अधिक से अधिक लोगों को यह सुविधा दे सकें।

श्री सूरज भान : अफसरों के लिए बन जाते हैं, लेकिन क्लास 3 या 4 के लिए नहीं बनते हैं।

श्री शेर सिंह : जहां तक मनी आर्डरों के जाने में देर होती है या टेलाफोन समय पर नहीं मिलता है, लाइनें खराब हो जाती हैं, दूसरी गड़बड़ियां हो जाती हैं इस के लिए जैसा माननीय सदस्यों ने मांग की है कि कोई समय निश्चित किया जाय और इस सदन में इस के ऊपर विचार हो, हम इस का स्वागत करेंगे। इस के लिए कोई समय रख दीजिए और हम सब लोग इस के बारे में विचार कर लें। उपाध्यक्ष महोदय, इस महकमे की प्रयिष्ठा पहले काफी अच्छी थी, आज भी काफी अच्छी है, लेकिन यह ठीक है कि इस में कुछ कमियां आ रही है। जगह जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि एम्बेजलमेंट हो गया है, पोस्ट मास्टर पैसा लेकर भाग जाते हैं, टेलीफोन की लाइनें खराब हो जाती हैं, कोपरवायर की चोरी होती है इन सारी कमियों के बारे में हमारे महकमें की जो कठिनाइया हैं, अगर उन सब के बारे में हम सदन को अवगत करा सकें तो हम इस का स्वागत करेंगे।

मंडल साहब ने जो बात कही है—मुझे दुख है कि मंडल साबह को टेलीफोन क्यों नहीं मिल सका, 5 मील और 15 मील का झगड़ा इस में कैसे आ गया, मैं इस की जांच करवाऊंगा। ससद सदस्यों की टेलीफोन के बारे में जो जो मांगें आई हैं, हम ने उन को पूरा करने का प्रयत्न किया है, लेकिन इस में एक कठिनाई जरूर रही है। जो कानून यहां पर पास हुआ और पार्लियामेंट्री अफेअर्स मिनिस्टर साहब ने जो लिखा है, उस में एक बात है—एरिया आफ आपरेशन किसी टेलीफोन एक्सचेन्ज का हो तो उस के अन्दर आप टेलीफोन दे सकते हैं। इस लिए जो गांव एरिया आफ आपरेशन से बाहर होते हैं उस में कठिनाई होती है। जब तक यह फैसला न हो जाय कि एरिया आफ आपरेशन से बाहर भी टेलीफोन दे सकते हैं और उस पर जो ज्यादा खर्च आयेगा, उस को पार्लियामेंट्री अफेअर्स का महकमा या सरकार देने को तैयार हो, तब यह समस्या हल हो सकती है।

श्री वि० प्र० मंडल : जब गांव में नहीं दिया तो मैंने आप के यहां चिट्ठी दिया कि मधेपुरा एक्सचेन्ज है, वहां भी मेरा घर है और दूसरे एम०पी० को वहां मिला हुआ है, वहां दे दिया जाय, लेकिन उस का भी जवाब नहीं आया।

श्री रणधीर सिंह : कोई भी एरिया हो, जब एम० पी० मांगें तो उस को जरूर देना चाहिए।

श्री शेर सिंह : मैं इस की जांच करवाऊंगा। अगर एक्चेंज है तो जरूर मिलेगा।

एक शिकायत यह की गई कि पार्लियामेंट के मेम्बरों से हमारे महकमे के अफसर रिश्वत मांगते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी अफसर में इतनी हिम्मत होगी कि वह पार्लियामेंट के मेम्बर से रिश्वत मांगता हो।

श्री शिव चंडिका प्रसाद (जमशेदपुर) : मेम्बरों से नहीं मांगते हैं, वहां गांव-वालों से मांगते हैं।

श्री शेर सिंह : यह बड़ी सीरियस बात है। अगर आप इस का थोड़ा सा भी सुबूत दे सकें तो हम उस अफसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। जिस ने ऐसा कहा है, किसी भी मेम्बर पार्लियामेन्ट से ऐसा कहा है, अगर कोई भनक या आवाज भी ऐसी आती है कि कोई अफसर किसी मेम्बर पार्लियामेंट से ऐसी उम्मीद रखता है या किसी की मारफत ऐसी कोशिश करता है, आप उस अफसर का नाम हम तक पहुंचा दें तो हम उस के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे।

असम के सम्बन्ध में कालिता जी ने कहा—यह ठीक है कि वह बहुत बड़ा सर्कल है, उस में तीन-चार यूनियन टैरिटरीज—नेफा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा भी हैं, लेकिन वहां पर पिछले दिनों हम ने काफी काम किया है। जैसे नागालैंड में पहले पोस्टल डिवीजन नहीं था, पिछले साल हम ने पोस्टल डिवीजन वहां चालू किया है, टेलीफोन और टेलीग्राफ का सब-डिवीजन खोला है। नेफा में 30-40 जगहों पर, जो बहुत दूर-दराज जगहें थीं, जंगलों और पहाड़ों में, वहां भी तार और टेलीफोन की सुविधा देने का प्रयत्न किया है। मेघालय में भी जहां बार्डर लगता है, जहां से कैटल-लिफ्टिंग की बारदातों की खबरें नहीं पहुंच पाती थी, उन स्थानों के लिए हम योजना बना रहे हैं और ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पर ये सुविधायें दे सकें। इसलिए असम के लिए हम को पूरी चिन्ता है और जो कुछ भी सम्भव है, वह करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

एक शिकायत उन्होंने यह की कि छोटे मुलाजिमों की भरती वहां से नहीं की जाती है। में आप की जानजारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि क्लास 4 की भरती वहां के लोकल एम्पालायमेंट एक्सचेंज की मारफत ही की जाती है, लेकिन यह ठीक है कि उस में बाहर के लोग भी आ सकते हैं। पिछले दिनों में गोहाटी और शिलांग गया था, वहां मुझ से यह शिकायत की गई कि आप लोकल एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज से तो भरती करते हैं, लेकिन उन में बाहर के लोग भी आ जाते हैं, बिहार के लोग आ जाते हैं, बंगाल के लोग आ जाते हैं, क्योंकि वे भीउस में कम्पीट करते हैं। इस के लिए हम ने उस में एक शर्त रखी है कि जिस व्यक्ति को जिस इलाके में काम करना है। उस जगह की भाषा उस को अवश्य आनी चाहिए। जैसे किसी को मणिपुर में काम करना है, तो उसे मणिपुर की भाषा आनी चाहिए। जिस को भाषा नहीं आयेगी उस को रिक्रूट नहीं किया जायगा।

SHRI DHIRESWAR KALITA : It is not being followed.

SHRI SHER SINNH : It is being followed.

लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे प्रान्तों के हैं, वहां कुछ दिनों से रहने लगे हैं, वहां की भाषा को सीख लिया है, जब वे लोग कम्पीट करते हैं तो हम उन को यह नहीं कह सकते कि आप का जन्म दूसरे राज्य में हुआ है, आप को यदि वह भाषा आती भी हैं, तो भी आप ले नहीं लिया जायगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन जिसको नागालैंड में रेक्रूट करेंगे उस को वहां की भाषा आनी चाहिये, उस का जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो। वहां की भाषा को जानना इस लिए जरूरी है कि वहां के लोगों से बात करने के लिए, उन में आने जाने के लिए जब तक उन की भाषा नहीं जानेंगे, तब तक उन की ठीक प्रकार से सेवा नहीं कर सकेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : मंत्री महोदय बार बार कह रहे हैं कि असम के पोस्ट आफिसों में जब लोग भरती होने जाते हैं तो उन में बिहार के भी चले जाते हैं, बंगाल के भी चले जाते हैं—क्या वे हिन्दुस्तान के बाहर से आते हैं ? क्या हमारे संविधान में ऐसा लिखा

है कि एक हिस्से का आदमी दूसरे हिस्से में नौकरी नहीं कर सकता ?

श्री शेर सिंह : मैंने तो ऐसा नहीं कहा है । अभी एक माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि असम के लोगों को नौकरी में नहीं लिया जाता है, उस इलाके के लोगों को नौकरी में नहीं लिया जाता है, मैंने खुद इस बात का समर्थन नहीं किया है । मैंने कहा है कि हम ने एक शर्त रखी है कि वहां की भाषा का जानना जरूरी है । वहां की भाषा को जानना इस लिये जरूरी है कि उन को वहां के लोगों की सेवा करनी है । जो वहां के लोगों की बात को समझ सकें, उस को ही वहां रखा जाय, ताकि वहां के लोगों की ठीक प्रकार से सेवा हो सके । लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह आदमी वहीं पैदा हुआ हो । जो आदमी वहां की भाषा जानता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, उस पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

SHRI DHIRESWAR KALITA : What about the construction division in Assam division ?

श्री शेर सिंह : इस के सम्बन्ध में मालूम कर के बतलाऊंगा ।

श्री मोलाहू प्रसाद (बांसगांव) : इन के विभाग की यह नीति है कि जिस नगर में एक हजार से अधिक टेलीफोन के उपभोक्ता हैं, वहां पर आटोमेटिक टेलीफोन प्रणाली कायम होगी । आप गोरखपुर के टेलीफोन उपभोक्ताओं की सूची देखिये, उन की सख्या एक हजार से ज्यादा है, लेकिन अभी तक वहां पर आटोमेटिक टेलीफोन की व्यवस्था नहीं की गई है । पांच छः वर्षों से जमीन भी एक्वायर की हुई है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है । मैं इस सम्बन्ध में तीन-चार दफा प्रश्न भी भेज चुका हूं ।

श्री शेर सिंह : वहां आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज बन रहा है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill further to amend the Indian Post Office Act, 1898, be taken into consideration."

The motion was adopted.

CLAUSE 2—(*Definitions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are some amendments.

SHRI BHOLA NATH MASTER : I beg to move :

Page 1,—

for clause 2, *substitute*—

'Amendment of section 45. 2. Section 45 of the Indian Post Office Act, 1898 shall be re-numbered as sub-section (1) of that section and—

(a) in sub-section (1) as so re-numbered, the proviso shall be omitted;

(b) after sub-section (1) as re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(2) The Central Government may also make rules prescribing the maximum limit of amount up to which postal orders may be issued from time to time". (6)

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : I beg to move :

Page 1, line 6,—

for "fifty rupees" *substitute* "one hundred rupees". (4)

My amendment seeks to substitute "one hundred rupees" for "fifty rupees" aad this has received unanimous support from all hon. Members of this House. I have three or four reasons for moving it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The amendment of Shri Bhola Nath Master goes one step ahead of this amendment in the sense that it does not prescribe any limit

[Mr. Deputy-Speaker]

and the Minister in his reply has indicated that he is willing to accept that amendment. So, if that is put to the vote and accepted by the House, this amendment would not be necessary.

SHRI SHRI CHAND GOYAL : No, We do not support that amendment. My amendment seeks to raise the amount to one hundred rupees. The value of the rupee has gone down so much that Rs. 10 of that time is equivalent to Rs. 100 of the present day. The postal orders are made use of by the students to pay their fees. In the Rehabilitation Department they accept deposits only through postal orders. The Indian Post Offices Act, 1898 itself says in section 45 that postal orders can be treated as equal to money orders. This is a very convenient method of making remittance of money. In the Statement of Objects and Reasons the Governments say that this figure is being raised because :

> ".....a member of the public who intends to send a remittance above Rs. 10, has to make the remittance either by money order or by purchasing more than one postal order of various denominatinas. It would, therefore, be convenient both to the public and also to the department if Postal Orders are issued in higher denominations."

I do not know on what basis or criterion this figure of Rs. 50 has been worked out. In fact, the figure ought to have been Rs. 100 because even the poor people now have to deal with an amount of Rs. 100. Therefore, it will be convenient both to the department as well as to the public if this amount is raised to Rs. 100.

Since pou are giving another opportunity, we will avail of that for highlighting other things. At the moment I am only pleading that this amendment has already got the support of the entire House. My objection to the other amendment, which has been moved by Shri Bhola Nath Master, is that we do not want to give unlimited powers to Government for issuing these postal orders. The very section 45 contemplates that Government can frame rules. We do not believe in uncanalised and unguided delegation of legislation which will invest the Government with powers to issue these postal orders of any denomination or amount. That is what that amendment would lead to. Therefore it is better that the matter comes up before parliament and parliament is taken into confidence whenever the Government wants to amend saction 45 of the Indian Post Office Act, 1898.

SHRI LOBO PRABHU : I have got to add one more reason. Shri Master's amendment runs to about 12 lines whereas our amendment is a simple change of Rs. 50 into Rs. 100. I do not know why Government should burden the statutes book with such a long amendment. I would, therefore, urge that they accept this amendment for Rs. 100.

I will also take this opportunity to request the Minister—I did not wish to interrupt him when he was replying—that he may, when he replies to this amendment, meet my proposal for a surface mail at the old rates in order to relieve the very strong grievance of the people that the postal rates raised in 1969 have been a great hardship to them. I do hope that he will make up for that deficiency and I will not have to stay for the third reading to repeat my request for an answer.

श्री शिव चन्द्र झा : उपाध्यक्ष जी, मेरा भी संशोधन यही है कि जो पचास रुपए की बात रखी गई है उसकी जगह पर सौ रुपए के डिनामिनेशन्स की बात रखी जाये । पचास की जगह सौ रखने की क्या वजह है उसको मैं अभी बता चुका हूँ कि 1898 के एक रुपए की कीमत भी आज कम से कम दस रुपए के बराबर है यह मेरा बहुत कंजर्वेटिव असेसमेंन्ट है इसलिए सौ रुपए रखना लाजिमी होगा । लेकिन अब जैसा कि इनके भाषण से मालूम हुआ, ये अनलिमिटेड को मान रहे हैं तो मेरा यह कहना है कि जब यहां पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद और तानशाही की हुकूमत थी, उसने भी अपने ऊपर रोक लगाई थी कि दस रुपए तक हम छापेंगे लेकिन

इनकी इतनी गुस्ताखी और इतनी हिम्मत कि कि उसको अनलिमिटेड करना चाहते हैं। डेफिसिट फ नेंसिंग में नोट छापने का काम होता है लेकिन योजना बनाने वाले उस पर भी एक सीमा लगाते हैं, प्रोडक्शन के साथ उसका एक सम्बन्ध रखते हैं कि इतने ही नोट छापे जायेंगे क्योंकि लिमिट न होने से फिर इम्बैलेंसेज आ जायेंगे, सारा इक्वीलिब्रियम खत्म हो जायेगा और तमाम दूसरी खराबियां आ जायेंगी। इस तरह से नोट छापने का जो सरकार का हक है उसकी भी लिमिट होती है और प्रोडक्शन के साथ उसका सम्बन्ध रहता है। उसी तरह से यहां पर भी 50 की जगह पर सौ कर दिया जाय लेकिन इनको इस तरह का लाइसेन्स नही मिलना चाहिए कि जितने डिनामिनेशंस के चाहें उतने छापें। क्या ये समझते हैं कि हिन्दुस्तान की 50 करोड़ जनता की पोस्टल आर्डर की हैबिट ओवरनाइट बढ़ जायेगी ? नहीं बढ़ेगी। अगर जनता की हैबिट बढ़ती है तो इसको भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसमें पचास पैसे, एक रुपए, डेढ़ रुपये, दो रुपए इस तरह के डिनामिनेशन्स को हटा दें और एक रुपया, पांच रुपए, दस रुपए, पचास रुपए, सौ रुपए—इस तरह के डिनामिमेशन्स रखें क्योंकि इससे प्रिंटिंग का जो एक्सपेंडीचर है वह भी कम हो जायेगा। साथ साथ आम जनता को भी सहूलियत होगी। आप ऐवरेज निकालिये कि 50 पैसे के कितने पोस्टल आर्डर दिये गये, 1 रु० डिनामिनेशन के कितने दिये गये, 2 रु० के कितने दिये गये और समाज को कितने डिनामिनेशन के पोस्टल आर्डरों की जरूरत है। आज आप एक लाइसेंस ले रहे हैं और नियम बना रहे हैं तब जनता को जो तकलीफ है, उस के बारे में मैं जरूर बतलाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे संशोधन को अवश्य मान लेंगे।

श्री भोला नाथ मास्टर : आप ने देखा होगा कि जो बिल विचारणीय है उस का बरस बदल गया और महीना बदल गया। इस को राम सुभग सिंह ने 16 दिसम्बर, 1968 को पेश किया था और आज दो साल के बाद हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस में सिर्फ इतनी ही बात है कि डिनामिनेशन कितना होना चाहिये ऐसे छोटे छोटे डिसीजन लेने में इतना समय लग जाता है। इस लिये जो मेरा सुझाव है वह इतना ही है कि आगे के लिये रूल बना कर यह प्रेस्क्राइब कर दिया जाय कि जब हाउस में शिकायत उठे या बाहर से मांग आये अथवा मिनिस्टर साहब के पास कोई पहुंचे कि हम को बड़े डिनामिनेशन के पोस्टल आर्डरों की जरूरत है तो उस समय सरकार उस को छाप सके। यहां पर कहा गया है कि 200 रु० तक कर दिया जाये, एक संशोधन है कि 100 रु० कर दिया जाये, दूसरा सरकार का अमेंडमेंट है जो कहता है कि 50 रु० तक रक्खा जाये। आखिर इसका फैसला कौन करे ? इस लिये ज्यादा बेहतर होगा कि रूल बना दिया जाय और उन के मुताबिक जब जैसी जैसी जरूरत पड़े उस तरह से किया जाये।

मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे संशोधन को मान लेंगे।

श्री तुलशी दास जाधव (बारामती) : उपाध्यक्ष महोदय, में आप का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता आप चाहे इस को 50 रु० का करें या 100 रु० का करें, लेकिन इस के बारे में एक दूसरा सजेशन यह है कि जिस तरह से सेविंग्स बैंक में अकाउंट रखने से दिक्कत पैदा होती है उस तरह से इस में न हो। अक्सर ऐसा होता है कि पोस्टल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स ले कर आदमी पोस्ट आफिस जाता है तब पोस्ट मास्टर इस की गवाही लेता है कि दस्तखत उसी आदमी के हैं। गवाही उसी की मानी जाती है जो पोस्ट मास्टर को जानता हो। इस मामले को ले कर काफी झगड़ा होता है और काफी घूस चलती है। हर पोस्ट

[श्री तुलशीदास जाधव]

आफिस में जो देहात में होता है पोस्ट मास्टर का आदमी रहता है और पोस्ट मास्टर और गवाह दोनों मिल कर आदमियों से पैसा ऐंठते हैं। आप को ऐसा इन्तजाम करना चाहिये कि सिग्नेचर को ले कर कोई भी किसी का पैसा न ले सके। जिस तरह से बैंक पैसा देते हैं उसी तरह से डाकखाने को भी देना चाहिये। कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी को भी इस मामले में हैरानी न हो।

श्री शेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भोला नाथ मास्टर ने ठीक बात कही। एक माननीय सदस्य ने कहा कि 200 रु० किया जाये, एक ने संशोधन दिया कि 100 रु० रक्खा जाये। श्री भोला नाथ मास्टर ने कहा कि आप बार बार इस सदन को क्यों तंग करते हैं। आज 50 रु० किया जा रहा है, कल 100 रु० किया जायेगा और परसों 200 रु० की माँग आयेगी और हम बार बार इस सदन में इस चीज के लिये आयेंगे और झगड़ा करेंगे। अगर आप स्वीकार कर लें तो ऐसे रूल्स बनाये जा सकते हैं और सरकार को अधिकार दिया जा सकता है। हां रूल्स बदलने के लिये हम फिर सदन के सामने आ सकते हैं।

श्री झा बहुत दूर की सोचते हैं कि शायद कोई अनाधिकार चेष्टा करे। ऐसी अनाधिकार चेष्टा कोन करेगा कि 100 रुपया की जगह कोई उस से ज्यादा के पोस्टल आर्डर छाप लें। ऐसा कोई भी करने नहीं जा रहा है। इस मामले में सरकार की कोई बुरी नियत नहीं है। यह बात यहां केवल इस लिये रक्खी जा रही है कि दुबारा यहां न आना पड़े यानी 10 रुपये से 50 रुपये करने के लिये या 100 रुपये करने के लिए फिर संसद का समय हम को न लेना पड़े। इस लिये हम चाहते हैं कि अधिकार दिये जायें, जैसे मनी आर्डर के लिए दिया गया है। इस ऐक्ट में उस के लिए अधिकार दे रक्खे गए हैं। यह कोई नया अधिकार हम नहीं माँग रहे हैं। मनी आर्डर के बारे में 43 (2) सेक्शन है जिस में यह अधिकार दिया गया है। उसी अधिकार के नीचे सीमा बढ़ाई गई है और 1,000 रुपये तक का मनी आर्डर जा सकता है। इसी ढंग से हम को पोस्टल आर्डर के लिए भी अधिकार दिया जाय, तो कोई खराब बात नहीं है। इसमें 100 रुपये वाली बात भी कवर हो जायेगी और जो भी संशोधन डिनामिनेशन को बढ़ाने के लिए रखे गये हैं उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है (इस लिए प्रस्तावकों को तो खुशी ही होनी चाहिए। इस लिए श्री भोला नाथ मास्टर के सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ और उनके संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, the question is :

Page 1, line 6,—

for "fifty rupees" *substitute* "one hundred rupees"

The Lok Sabha divided :

Division No. 2

AYES **15.51 hrs.**

Amat, Shri D.
Amin, Shri R. K.
Anirudhan, Shri K.
Biswas, Shri J. M.
Brij Bhushan Lal, Shri
Chakrapani, Shri C. K.
Dar, Shri Abdul Ghani
Dass, Shri C.
Deo, Shri K. P. Singh
Dipa, Shri A.
Esthose, Shri P. P.
Ghosh, Shri Ganesh
Gopalan, Shti A. K.
Gopalan, Shri P.
Goyal, Shri Shri Chand
Gupta, Shri Kanwar Lal
Gupta, Shri Ram Kishan
Janardhanan, Shri C.
Jha, Shri Shiva Chandra
Joshi, Shri Jagannath Rao
Kandappan, Shti S.
Khan, Shri Ghayoor Ali
Khan, Shri H. Ajmal
Lobo Prabhu, Shri
Majhi, Shri Mahendra

Mandal, Shri B. P.
Mayavan, Shri
Mehta, Shri Ashoka
Modak, Shri B. K.
Mody, Shri Piloo
Mohamed Imam, Shri J.
Mohammad Ismail, Shri
Mohinder Kaur, Shrimati
Molahu Prasad, Shri
Mrityunjay Prasad, Shri
Naghnoor, Shri M. N.
Naik, Shri G. C.
Nambiar, Shri
Nayanar, Shri E. K.
Pandey, Shri K. N.
Paswan, Shri Kedar
Rajaram, Shri
Raju, Shri D. B.
Ram Subhag Singh, Dr.
Ramani, Shri K.
Ranga, Shri
Rao, Shri V. Narasimha
Sanji Rupji, Shri
Sharma, Shri Narayan Swaroop
Sharma, Shri Yajna Datt
Sheo Narain, Shri
Shivappa, Shri N.
Singh, Shri D. N.
Singh, Shri J. B.
Solanki, Shri S. M.
Suraj Bhan, Shri
Thakur, Shri Gunanand
Umanath, Shri
Vidyarthi, Shri Ram Swarup
Viswanathan, Shri G.

NOES

Ahirwar, Shri Nathu Ram
Azad, Shri Bhagwat Jha
Babunath Singh, Shri
Barua, Shri Bedabrata
Baswant, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhandare, Shri R. D.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Birua, Shri Kolai
Chanda, Shri Anil K.
Chandrakar, Shri Chandulal
Choudhary, Shri Valmiki
Choudhary, Shri J. K.
Deoghare, Shri N. R.
Deshmukh, Shri Shivajirao S.
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Gavit, Shri Tukaram
Girja Kumari, Shrimati
Halder, Shri K.
Horo, Shri N. E.
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V. N.
Jamna Lal, Shri
Kamble, Shri
Kamala Kumari, Kumari
Kasture, Shri A. S.
Kavade, Shri B. R.
Khan, Shri Latafat Ali
Kinder Lal, Shri
Kisku, Shri A. K.
Kotoki, Shri Liladhar
Krishna, Shri M. R.
Lalit Seh, Shri
Laskar, Shri N. R.
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahajan, Shri Vikram Chand
Maharaj Singh, Shri
Mahishi, Dr. Sarojini
Malhotra, Shri Inder J.
Master, Shri Bhola Nath
Meghachandra, Shri M
Minimata Agam Dass Guru, Shrimati
Mishra, Shri Bibhuti
Mulla, Shri A. N.
Nahata, Shri Amrit
Pahadia, Shri Jagannath
Palchaudhuri, Shrimati Ila
Panigrahi, Shri Chintamani
Parmar, Shri, D. R.
Parthasarathy, Shri
Patil, Shri Dcorao
Patil Shri S. D.
Patil, Shri T. A.
Pradhani, Shri K.
Qureshi, Shri Mohd. Shafi
Radhabai, Shrimati B.
Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Ram, Shri T.
Randhir Singh, Shri
Rao, Shri J. Ramapathi
Reddi, Shri G. S.
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Sait, Shri Ebrahim Sulaiman
Sambhali, Shri Ishaq
Sankta Prasad, Dr.
Sen, Shri Dwaipayan
Shambhu Nath, Shri
Sharma, Shri Naval Kishore
Shastri, Shri Biswanarayan

Shastri, Shri Sheopujan
Sher Singh, Shri
Shinde, Shri Annasahib
Shiv Chandika Prasad, Shri
Siddayya, Shri
Siddheshwar Prasad, Shri
Sinha, Shri R. K.
Sonar, Dr. A. G.
Surendra Pal Singh, Shri
Tarodekar, Shri V. B.
Thakur, Shri P. R.
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri K. N.
Uikey, Shri M. G.
Venkatswamy, Shri G.
Verma, Shri Balgovind
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Yadab, Shri N. P.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result* of the division is *Ayes* 60; *Noes* : 94

The motion was nagatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : I am now putting the amendment of Shri Bhola Nath Master. Amendment No. 6 to the vote of the House. The question is :

Page 1,
for clause 2, *substitute*-

'Amendment of section 45

2. Section 45 of the Indian Post Office Act, 1898, shall be re-numbered as 6 of 1898, sub-section, (1) of that section, and

(a) in sub-section (1) as so re-numbered, the proviso shall be omitted;

(b) after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(2) The Central Government may also make rules prescribing the maximum limit of amount up to which postal orders may be issued from time to time". (6)

Let the lobby be cleared.

The Lok Sabha divided :

Division No. 3 **15.57 hrs.**

AYES

Ahirwar, Shri Nathu Ram
Avedya Nath, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha
Babunath Singh, Shri
Barua, Shri Bedabrata
Barupal, Shri P. L.
Baswant, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhandare, Shri R. D.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhattacharyya, Shri C. K.
Birua, Shri Kolai
Biswas, Shri J. M.
Bohra, Shri Onkarlal
Chanda, Shri Anil K.
Chavan, Shri D. R.
Choudhary, Shri Valmiki
Choudhuri, Shri J. K.
Dalbir Singh, Shri
Deoghare, Shri N. R.
Deshmukh, Snri Shivajirao S.
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Gavit, Shri Tukaram
Girja Kumari, Shrimati
Gowda, Shri M. H.
**Gupta, Shri Kanwar Lal
Gurcharan Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V. N.
Jamna Lal, Shri
Janardhanan, Shri C.
Kamble, Shri
Hamala Kumari, Kumari
Kasture, Shri A. S.
Kavade, Shri B. R.

* The following members also recorded their votes for AYES : Shri Avedya Nath and Shrimati Sucheta Kripalani.
** Wrongly voted for Ayes.

Khan, Shri Latafat Ali
Khan, Shri M. A.
Kinder Lal, Shri
Kisku, Shri A. K.
Kotoki, Shri Liladhar
Krishna, Shri M. R.
Lalit Sen, Shri
Laskar, Shri N. R.
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahajan, Shri Vikram Chand
Maharaj Singh, Shri
Mahishi, Dr. Sarojini
Malhotra, Shri Inder J.
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Meghachandra, Shri M.
Minimata Agam Dass Guru, Shrimati
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. S.
Muhammad Ismail, Shri M.
Mulla, Shri A. N.
Nahata, Shri Amrit
Pahadia, Shri Jagannath
Palchaudhuri, Shrimati Ila
Panigrahi, Shri Chintamani
Paokai Haokip, Shri
Parmar, Shri, D. R.
Parthasarathy, Shri P.
Patil, Shri Deorao
Patil Shri S. D.
Patil, Shri T. A.
Pradhani, Shri K.
Qureshi, Shri Mohd. Shafi
Radhabai, Shrimati B.
Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Ram, Shri T.
Rana, Shri M. B.
Randhir Singh, Shri
Rao, Shri J. Ramapathi
*Rao, Shri V. Narasimha
Reddi, Shri G. S.
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Sait, Shri Ebrahim Sulaiman
Sambhali, Shri Ishaq
Sanghi, Shri N. K.
Sankata Prasad, Dr.
Savitri Shyam, Shrimati
Sen, Shri Dwaipayan
Shambhu Nath, Shri
Sharma, Shri Naval Kishore
Shastri, Shri Biswanarayan
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shastri, Shri Sheopujan
Sher Singh, Shri
Shinde, Shri Annasahib
Shiv Chandika Prasad, Shri
Siddayya, Shri
Siddheshwar Prasad, Shri
Sinha, Shri R. K.
Sonar, Dr. A. G.
Sudarsanam, Shri M.
Surendra Pal Singh, Shri
Swaran Singh, Shri
Tarodekar, Shri V. B.
Thakur, Shri P. R.
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri K. N.
Uikey, Shri M. G.
Venkatswamy, Shri G.
Verma, Shri Balgovind
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Yadab, Shri N. P.

NOES

Amat, Shri D.
Amiu, Shri R. K.
Badrudduja, Shri
Brij Bhushan Lal, Shri
Chakrapani, Shri C. K.
**Chandrakar, Shri Chandoolal
Dass, Shri C.
Deo, Shri K. P. Singh
Dipa, Shri A.
Goyal, Shri Shri Chand
Gupta, Shri Ram Kishan
Jha, Shri Shiva Chandra
Kedaria, Shri C. M.
Khan, Shri Ghayoor Ali
Khan, Shri H. Ajmal
Kripalani, Shrimati Sucheta
Lobo Prabhu, Shri
Majhi, Shri Mahendra
Mehta, Shri Ashoka
Misra, Shri Janeshwar
Mody, Shri Piloo
Mohinder Kaur, Shrimati
Molahu Prasad, Shri
Mrityunjay Prasad, Shri
Naghnoor, Shri M. N.
Naik, Shri G. C.
Onkar Singh, Shri
Pandey, Shri K. N.
Paswan, Shri Kedar
Raju, Shri D. B.
Ram Subhag Singh, Dr.

* Wrongly Voted for Ayes.
* Wrongly voted for Noes.

Ranga, Shri
Sanji Rupji, Shri
Sen, Shri P. G.
Sharma, Shri Narayan Swaroop
Shoo Narain, Shri
Shivappa, Shri N.
Singh, Shri D. N.
Singh, Shri J. B.
Solanki, Shri S. M.
Suraj Bhan, Shri
Thakur, Shri Gunanand
Vidyarthi, Shri Ram Swarup

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result* of the division is *Ayes :* 114; *Noes :* 43

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 1—(*Short Title, extent commencement and application)*

Amendment made :

Page 1, line 4,

for '1968' *substitute* '1970'. (2)
(*Shri Sher Singh*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula *Amendment made :*

Page 1, line 1,

for 'Nineteenth' *substitute* 'Twenty first'. (1)
(*Shri Sher Singh*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI SHER SINGH : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

15.59 hrs.

DISCUSSION *RE.* MIGRATION OF HINDU MINORITIES FROM EAST PAKISTAN

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up discussion under rule 193 on the large-scale migration of Hindu minorities from East Pakistan and the steps taken by the Government to check it.

The following members also recorded their votes :

AYES : Shri Chandoolal Chandrakar.

NOES : Sarvshri Yajna Datt Sharma, J. Mohamed Imam, Kanwar Lal Gupta and V. Narasimha Rao.